

~~रक~~
(Reader)

9.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी ने प्रकरण में पक्षकारान
के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से
प्रकरण विद्रो करने हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत
किया। प्रा.पत्र शामिल पत्रावली होवे।
वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पक्षकारान
के मध्य राजीनामा होना जादिर करते
हुए प्रकरण विद्रो करने हेतु प्रस्तुत प्रा.
पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण
राजीनामा के आधार पर से खारिज
किया जाता है पत्रावली कैसल शुमार
होकर अंतगत मूल वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा